सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ.सं 20-19016/4/2023-प्रशिक्षण–नौमनि **दिनांक: 29 .11 .2023**

नौमनि परिपत्र 2023 / 24

दिनांक 28.07.2023 के नौमनि परिपत्र संख्या 2023/19 का अनुशेष

1. जबकि, निदेशालय ने यथा संशोधित एसटीसीडब्ल्यू 78)2010 मनीला संशोधन) के अंतर्गत जारी मास्टर्स और डेक अधिकारियों के नॉटिकल ग्रेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी (सीओसी) के पुनर्वैधीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में दिनांक 28.07.2023 का डीजीएस परिपत्र संख्या 19 जारी किया और निर्णय लिया कि:-

(1) एमटीआई को पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए ऑनलाइन (नया) आवेदन करना होगा।
(2) निदेशालय एमटीआई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अनुमोदन देगा, लेकिन ऐसे सभी दस्तावेजों को संबंधित सवावि द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर यानी 31.01.2024 से पहले सत्यापित किया जाएगा।
(3) यदि कोई एमटीआई 31.01.2024 के बाद एमएमडी के निरीक्षण के बिना पाठ्यक्रम संचालित करता पाया जाता है, तो 2016 के नौमनि आदेश 5 के तहत प्रस्तावित गंभीर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
(4) जैसा कि ऊपर बताया गया है, पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निर्धारित समय के भीतर अनुपालन की जिम्मेदारी एमटीआई की होगी। इसलिए यदि एमटीआई जारी दिशानिर्देशों का 100% अनुपालन करता है तो पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन करे ।
(5) यह स्कीम केवल 31.07.2023 तक मान्य होगी, बाद में इच्छुक एमटीआई को नियमित प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसमें आरयूटी के पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, सवावि निरीक्षण की आवश्यकता होगी और केवल प्रधान अधिकारी, सवावि की सिफारिश पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन पर विचार किया जा सकेगा ।

2. जबकि, निदेशालय को उक्त पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए निरीक्षण हेतु संबंधित एमएमडी को निरीक्षण आदेश जारी करने के लिए विभिन्न एमटीआई से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

3. अतः, एमटीआई से अनुरोध है कि वे संबंधित सवावि को उक्त पाठ्यक्रम के निरीक्षण के लिए अपनी तैयारी के बारे में सूचित करें । तदनुसार, संबंधित सवावि संस्थान का निरीक्षण करने के लिए सर्वेक्षकों को प्रतिनियुक्त करें और विहित प्रपत्रों में फाइनल रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाई जाए ।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

29/11/2023

(डॉ. पांडुरंग के. राऊत)
नौवहन उप महानिदेशक (प्रशि.)

प्रति
1 समस्त समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान
2. सभी सवावि
3. ई-गवर्नन्स

(अस्वीकरण- हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।)

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in